राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.
नेहरू सहकार भवन, तृतीय तल, 22 गोदाम, जयपुर

E-mail : gmscdcho@gmail.com Ph. No. 0141-2740745, 2740544 Fax No. 0141-2740880

अन्य पिछडा वर्ग के लिये योजनायें –

राजस्थान अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। निगम का मुख्य कार्य राज्य के अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। राष्टीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से ऋण राशि राज्य निगम द्वारा ऋण के रूप में ली जाकर राज्य के पिछडा वर्ग के व्यक्तियों को जिलेवार लक्ष्य के अनुसार वितरित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से आरओबीसीएफडीसी का कार्य प्रबन्ध निदेशक अनुजा निगम के नियंत्रण में संपादित किया जा रहा है।

<u>उद्देश्य</u> :–

1. अन्य पिछड़े वर्गो के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
2. अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों को सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आय/आर्थिक मानदण्डों के आधार पर आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यावहारिक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों के माध्यम से सहायता करना।
3. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्व–रोजगार तथा अन्य कार्य के अवसरों को प्रोत्साहित करना।
4. गरीबी रेखा तथा दोहरी गरीबी रेखा से नीचे के अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित व्यक्तियों हेतु चयनित मामलों में रियायती वित्त उपलब्ध कराना।
5. अन्य पिछड़े वर्गों को स्नातक एवं उच्चतर स्तरों पर सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु ऋण उपलब्ध करना।
6. उत्पादन इकाइयों के उचित एवं कुशल प्रबन्धन के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की तकनीकी एवं उद्यमीय कुशलताओं के उत्थान में सहायता करना।

<u>ऋण लेने की पात्रता</u> :–

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो।

3. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो।

4. आवेदक की वार्षिक आय 3.00 लाख रु0 से अधिक नहीं हो।

5. आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था/निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।

6. आय जनित गतिविधियों को चलाने के लिए स्वयंसेवी सहायता समूह/सहकारी समिति इत्यादि भी समूह में ऋण प्राप्त कर सकती है।

<u>प्रशिक्षण एवं विकास</u> :–

निगम दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पिछडे वर्ग के पात्र व्यक्तियों को परियोजना से सम्बद्ध तकनीकी एवं उद्यमीय कौशल की अभिवृद्धि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य लक्षित वर्ग को उनके परम्परागत एवं तकनीकी पेशों एवं उद्यमों से सम्बन्धित समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हे कार्य के योग्य एवं स्वावलम्बी बनाना है। प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रशिक्षण संस्थानों को एनबीसीएफडीसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षणार्थी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त अपने व्यवसाय को आरम्भ करने हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत ऋण सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :– मशीन ऑपरेटर, फिटर, वेल्डर, जूट एक्सेसरीज, कारपेट वीविंग, मोबाईल रिपेयरिंग, फूड प्रोसेसिंग, बेसिक कम्प्यूटर ऑपरेटर, सिलाई मशीन ऑपरेटर, प्लम्बिंग, इलैक्ट्रीशियन, सिक्युरिटी गार्ड, होम हेल्थ ऐड, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, टैली ई.आर.पी. सहित सर्टिफिकेट कोर्स इन फाइनेंशियल एकाउटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वैब डिजाइनिंग इत्यादि।

<u>वित्तीय सहायता के कार्य</u> :–

निगम निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में आय सृजित करने वाले विभिन्न कार्यकलापों हेतु ऋण सहायता प्रदान करता है :–

क्र.सं.	योजना का नाम	विवरण
1	कृषि एवं संबंधित क्षेत्र	मधुमक्खी पालन, नौका, बोर–वेल, डेयरी, मत्स्य पालन, लिफ्ट सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन), सॉलर लाईट/पम्प ट्रैक्टर एवं ट्रोली आदि।
2	लघु व्यापार/दस्तकारी एवं पारम्परिक व्यवसाय	बेकरी, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, लोहारगीरी, बढ़ईगीरी, ड्राईक्लीनिंग, किराना दुकान, हस्तशिल्प एवं दस्तकारी सामान की दुकान, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिले–सिलाए वस्त्रों की दुकान, सिलाई एवं कढ़ाई की दुकान आदि।

3	परिवहन सेवाएं एवं सेवा क्षेत्र	ऑटो मरम्मत दुकान, ऑटो रिक्शा, साइकिल मरम्मत दुकान, कम्प्यूटर सेन्टर, बिजली एवं इलैक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत दुकान, घरेलू सामान, प्लम्बिंग, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, मोबाईल फोन मरम्मत दुकान, बहुउपयोगिता वाहन मरम्मत दुकान, फोटो कॉपियर, फोटो स्टूडियों, पिक–अप वैन, टैक्सी एवं टैम्पों, परामर्शी सेवाऐं आदि।
4	तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रेड/पाठ्यक्रम	स्नातक एवं उच्च स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे इंजीनियरिंग, प्रबन्धन, चिकित्सा एवं नर्सिंग, कम्प्यूटर इत्यादि।

ऋण की विभिन्न योजनाएंः–

क्र. सं.	योजना का नाम	इकाई लागत (लाखों में)	ऋण राशि	ब्याज दर (%)	पुर्नभुगतान अवधि (त्रैमासिक)	मोरेटोरियम अवधि
1	सावधि ऋण (सोलर लाईट एवं अन्य कृषि कार्य हेतु)	5 लाख रू.	5 लाख रू. तक	6	अधिकतम 10 वर्ष	6 माह
2.	नई स्वर्णिमा (महिलाओं के लिए)	1 लाख रू.	अधिकतम ऋण सीमा तक	5		
3.	लघु (माइक्रो) वित्त	60,000/–	अधिकतम ऋण सीमा तक	5		
4.	महिला समृद्धि योजना (महिलाओं के लिए)/ व्यक्तिगत लघु ऋण योजना	60,000/–	अधिकतम ऋण सीमा तक	4		
5.	शिक्षा ऋण	5 लाख रू.	अधिकतम ऋण सीमा तक	4	15 वर्ष	

- नोट : जो ऋणी समय पर ऋण की अदायगी करेगें 50 प्रतिशत के बाद एक प्रतिशत एवं शत–प्रतिशत अदायगी पर फिर एक प्रतिशत अर्थात कुल दो प्रतिशत की छूट देय है।

जिला कार्यालयों द्वारा उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं हेतु लाभार्थियों की पसन्द के अनुसार ऋणों का वितरण किया जाता है। उपरोक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत दिए गए कार्यकलापों की सूची मात्र उदाहरण भर है। उक्त सूची के अतिरिक्त भी लाभार्थियों की सुविधानुसार किसी भी कार्य में ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।

योजना में आवेदन का तरीका – जिला स्तर पर निगम कार्यालय स्थापित है, जिसका प्रभारी परियोजना प्रबंधक होता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 से ऋण आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑन लाईन भरा जावेगा। प्रार्थी अपनी स्वयं की एस.एस.ओ. आई डी तैयार कर ऋण आवेदन पत्र स्वयं ऑन लाईन भर सकता है अथवा ई–मित्रा के माध्यम से ऑन लाईन भरवाया जा सकता है।

पुनर्भुगतान – ऋण के पुनर्भुगतान के लिये जिला परियोजना प्रबंधक से संपर्क करें।